

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 103 / 2018 / बाड़मेर
अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

1. पताराम पुत्र रागीगाराम जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
- बनाम 1. लेरों पुत्री रावाराम
2. बगाराम पुत्र गांगाराम जाति कलबी निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी
3. शाखा प्रबन्धक, एरा वी आई शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2016 यअनवान लेरों वगै. बनाम पाताराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2017 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

- वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्त की ओर से।
- वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—05.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 39.08 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 108.08 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 28.16 बीघा, खसरा नम्बर 178/125 रकबा 177.04 बीघा मौजा नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आये हुए है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान के उक्त भूमि का बाहामी तौर से बंटवाडा किया हुआ है और वे अपने अपने हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त पृथक करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद को दर्ज कर अपीलांत को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी/अपीलांत से सम्मन तामील करवाये बिना ही व बिना विधिवत सूचना दिये ही अपीलांत के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के नाम हस्तागत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से हाज़ीर नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपरिस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुडामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुडामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये विना पटवारी हल्का व आर आई के माफत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये विना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने विना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार वाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। वर्तमान में उत्तरदातागण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में चीणों के ढुकड़े रोपने की धमकियां

राजस्थान अपील अधिकारी
वाड़मेर

की गई तथा कहा कि हमने कोर्ट से काफी समय पूर्व निर्णय कराकर भूमि का बंटवाड़ा करना लिया है तथा अब मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार काबिज होंगे, जिस पर अपीलान्त को अपने हक हक्कुक संशयप्रद लगे तो अपीलान्त ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 12.09.2018 को प्राप्त की तो अपीलान्त को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रैस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्त/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब अपीलान्त द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्त की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलान्त को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरुद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताशकृत किये गये हैं। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा **By Metes & Bounds** सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय


यजमान अर्पित अधिकारी
- बाबू

एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलान्त की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2016 बअनवान लेरों वगै. बनाम पाताराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2017 को अपारस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मददेनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम छह माह में पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।


(अरविन्द कुमार जिखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर